International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709
Received: 26-01-2026, Accepted: 25-02-2026, Published: 12-03-2026
Volume 8, Issue 1, 2026, Page No. 89-92

ग्राम पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन: बिहार राज्य के सन्दर्भ में

डा० धीरज कुमार
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
वर्तमान में, पंचायतें ग्यारहवी सूची में सूचीबद्ध आर्थिक–सामाजिक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर योजनाएं बनाकर व उनके सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करते हुए गांवों में विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहीं हैं। गांवों में कृषि विकास व विस्तार, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन विकास, लघु व कुटीर उद्योगों के विकास का भार पंचायतों के कंधों पर ही है। गांवों में सफाई, स्वच्छता, चिकित्सा, शिक्षण व्यवस्था, बिजली, पानी व सिंचाई जैसी आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान पंचायती संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही महिला वर्ग, गरीब वर्ग व पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण, रखरखाव व देखभाल की जिम्मेदारी पंचायतों पर ही है। इस प्रकार से, पंचायती संस्थाएं गांवों को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाकर उनके सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की रीढ़ है। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पंचायती व्यवस्था का मूलभूत लक्ष्य यही है कि गांवों से पुरानी व्यवस्था को परिवर्तित करके एक ऐसे समतामूलक समाज की रचना की जाए जिसमें असमानता, अन्याय व शोषण की लकीरें विद्यमान नहीं हो। समाज के सभी जाति, वर्ग, महिला व पुरुष एवं बालकों के अधिकारों को संरक्षित व सुरक्षित करना संभव हो सके। बेरोजगारी, गरीबी व भुखमरी जैसे दानवों से मुक्त गांव स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के प्रतिबिम्ब हों। इस प्रकार से सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के मार्ग पर प्रशस्त गांव ही देश के विकास की वास्तविक तस्वीर के प्रत्यक्ष साक्षी होंगे तथा इस दुष्कर व जटिल कार्य के सम्पादन में पंचायतों की भूमिका सर्वोपरि एवं महत्वपूर्ण साबित होगी।
वित्तीय दृष्टिकोण से सशक्त होने पर ही पंचायतै गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता हासिल कर सकती हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए पंचायतों को शुल्क, चुंगी व फीस आदि लगाने व संगृहित करने का अधिकार दिया गया तथा राज्य सरकार की आकस्मिक निधि से भी वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया ताकि पंचायतों को वित्तीय मजबूती उपलब्ध हो सके। प्रस्तुत आलेख में बिहार राज्य के सन्दर्भ में ग्राम पंचायतों के वित्तीय प्रबन्धन के पहलुओं को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया है।

मुलशब्द: आर्थिक–सामाजिक विकास, वित्तीय प्रबन्धन, पंचायती राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय, बिहार

भूमिका
पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर भागीदारी सुनिश्चित करके विकेंद्रित शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण विकास, गरीबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करके बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई है। नियमित चुनावों से समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए अजा, अजजा, पिछड़ी जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण से लोकतांत्रिक कामकाज सुनिश्चित होता है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों के स्थानीय लोगों की भागीदारी से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित होती है। ये संस्थाएं सरकार और ग्रामीण समुदायों के बीच पुल का काम करती हैं और स्थानीय आबादी का विकास और सशक्तीकरण करती हैं। तालिका 1 में 2024 में पंचायती राज संस्था के अन्य अधिकारी सदस्यों सहित जिला परिषदों (38), पंचायत समितियां (533) और ग्राम पंचायतों (8053) की संख्या दर्शाई गई है।

तालिका 1: बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन (2024–25. सितंबर 2024 तक)

विवरण	संख्या	विवरण	संख्या
जिला परिषद	38	ग्राम पंचायत सचिव	8053
पंचायत समिति	533	न्याय मित्र	5826
ग्राम पंचायत	8053	ग्राम कचहरी सचिव	6656
ग्राम पंचायत सदस्य	109321	जिला पंचायती राज अधिकारी	38
पंचायत समिति सदस्य	11094	प्रखंड पंचायती राज अधिकारी	442
जिला परिषद सदस्य	1160	ग्राम कचहरी सदस्य	109321

स्रोतः पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायत की वित्तीय भूमिकाये एवं उत्तरदायित्व
वित्त एक साधन है और साध्य भी है। साधन के रूप में यह सभी साधनों से अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। साध्य के रूप में हर सफलता या विफलता का यह मापदण्ड बन गया है। पंचायत राज की वर्तमान स्थिति में साधन एवं साध्य दोनों रूपों में वित्त अभी गौण है और यही वह कड़ी है जिसे हम जितना मजबूत बनायेंगे पंचायत राज सस्था उतनी ही सफल एवं प्रभावकारी बनती जायेगी। सरकार इस ओर सतत प्रत्यनशील है।

वित्त दो तरह से प्राप्त हो सकता है। किसी स्त्रोत से एकमुश्त सहायता प्राप्त करके तथा अपनी बुद्धि–विवेक और श्रम से उगाही करके। इन दोनों में दूसरा विकल्प अधिक श्रेयस्कर होता है क्योंकि, इस तरह वित्त की कीमत, श्रम का सम्बल और बुद्धि–विवेक की महत्ता, सबकुछ प्रतिष्ठापित होता है। इससे कर्मठता जगती है और सामाजिक स्तर पर स्थानीय सहयोग व सम्मान मिलता है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में पंचायतों को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उसका निबटान भी करने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें अपने नाम से एक निधि भी गठित करने का अधिकार है जिसमे वर्णित स्त्रोतों से प्राप्त राशि जमा की जा सकती है।, ग्राम पंचायत को सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटान तथा संविदा करने की शक्ति होगी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अचल सम्पत्ति के निपटान के सभी मामलों में उसे सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

लेखाकरण ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग किसी भी संगठन के लेन–देन संबंधी कार्यों का रिकार्ड रखने, इन्हें वर्गीकृत करने और इन्हें सारणबद्ध रूप से संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायतों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्त्रोतों से निधियों की प्राप्ति होती है। ग्राम पंचायत की प्रशासनिक प्रक्रिया न सिर्फ निधियों के प्रीएवी प्रयोग के लिए बल्कि इनके उचित रिकार्डों को बनाए रखने के लिए भी जिला प्रशासन के प्रति जवाबदेह है। इसलिए ग्राम पंचायत के लिए जरूरी है कि वह लेखाकरण संबंधी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुव्यवस्थित लेखाकरण प्रक्रिया का अनुसरण करें। इस सबंध में निम्नलिखित कुछ बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है–

1. प्राप्ति एवं अदायगी खाता के लिए नकद आय पद्धति,
2. आय एवं व्यय खाता के लिए प्रोद्भवन (Accrual) पद्धति,
3. तुलन पत्र,
4. ग्राम पचायत खातों की लेखा परीक्षा,
5. लेखा परीक्षा की कार्यविधियाँ,
6. परिसंपत्तियों का सत्यापन एवं मूल्यांकन,
7. लेखापरीक्षा (Notes) प्रपत्रों का निपटान इत्यादि।

ग्राम पंचायत निधि का अभिरक्षण तथा प्रशासन

1. निधि में जमा में निम्नलिखित रखें जायेंगे यथा–
   1.1 इस अधिनियम के अनुसार या अन्य प्रकार पंचायत द्वारा या उसके नाम में प्राप्त सभी राशियों, और
   1.2 अधिनियम के अनुसार पंचायत द्वारा प्रतिस्थापित स्थानीय प्राधिकार के शेष रोकड़, यदि कोई हो।

2. इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अन्तर्गत निर्मित नियम या उप–विधियों का किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जिसमें या जिसके अन्तर्गत निधि में जुर्माना जमा करने का उपबन्ध है, वसूल किये गये जुर्माने सरकारी कोषागार में रखे जायेंगे।

इस अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के अधीन निधि का प्रशासन पंचायत एवं जिला पंचायत अफसर के सामान्य नियंत्रण में मुखिया के हाथ अधियोजित होगा। सभी कारोबार (लेन देन) जिसमें मुखिया या सरपंच का सेवक अपने पद के हैसियत से सम्मिलित है, बिना किसी संकोच के निधि के लेखा में लिखा जाना चाहिए। निधि का कोई रूपया, सिवा इन नियमों के अनुसार यथावत अधिकृत अग्रिम देयों (पेशगियों) के निधि के सामान्य रोकड खाते से पृथक न रखा जायगा। पंचायत का बाकी रूपया ऐसे भुगतानों को पाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को पंचायत के कार्यालय में या उसके बाहर किसी स्थान पर, जैसा कार्यकारिणी समिति (कमिटी) निर्देश में दिया जाएगा। ऐसे भुगतानों को पाने के लिए अधिकृत व्यक्ति को दिये गये सभी भुगतानों की प्राप्ति–स्वीकृति ऐसे व्यक्ति द्वारा की जायेगी तथा प्रत्येक ऐसे भुगतान की रसीद ऐसे व्यक्ति द्वारा दी जायगी जिसे ऐसी रसीद पर हस्ताक्षर करने की मुखिया द्वारा शक्ति दी गई हो।

निधि की सभी आय और व्यय का लेखा मुखिया निर्दिष्ट पंचायत निधि–लेखा पुस्तक में रखेगा। प्रति मास के अन्त में लेखा बन्द और संतुलित किया जायेगा। निधि की नकदी रोकड (कैश बैलेंस) साधारणतया समीपवर्ती पोस्ट ऑफिस सेविग्स बैंक, स्वीकृत को–ऑपरेटिव बैंक या सरकारी कोषागार या उप–कोषागार में पंचायत के नाम से रखा जायगा। कार्यकारिणी समिति शीघ्र व्यवहृत न होने वाले रूपये को पंचायत के नाम से सरकारी प्रतिभूतियों या पोस्ट ऑफिस कैश–सर्टिफिकेट में लगा सकती है।, चालू आकस्मिक व्यय के लिए एक रकम, य जो पचीस रूपये से अधिक न होगी, स्थायी अग्रिम (पेशगी) के रूप में मुखिया एवं सरपंच के अभिरक्षण में रखी जा सकती है।, कार्यकारिणी समिति इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विहित किसी प्रयोजन के लिए निधि से व्यय स्वीकृत कर सकती है। निधि के खाते में रखी रकम (राशि) से अधिक राशि व्यय नहीं की जायगी। इस नियम के प्रयोजनार्थ लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों प्रतिभायें खरीदने या राष्ट्रीय झंडा फहराने का व्यय अधिनियम के अधीन अधिकृत व्यय समझा जायेगा।

जब नकद रूपये की कमी हो और पेशगी को पूरा करना हो तो वाउचर के साथ एक बिल मुखिया के पास रखा जाएगा। यदि कोई काम पंचायत के समिति के सदस्य के द्वारा किया जाना वाला हो तो ऐसे सदस्य के समिति की स्वीकृति पर पेशगी दी जा सकती है। पेशगी पाने वाला व्यक्ति दी गई रकम का ठीक–ठाक लेखा रखेगा तथा अंतिम रूप से तीन महीने के भीतर कार्यकारिणी समिति के समक्ष वाउचर सहित लेखा प्रस्तुत करेगा। प्रति तीन महीने पर पेशगियों की एक सूची मुखिया की छानबीन के लिए निर्मित की जायेगी, मुखिया इस पर विचार करेगा कि कोई अग्रिम अधिक दिनों तक बकाया नहीं रहे।

निधि से भुगतान के निर्मित प्रत्येक बिल या अन्य दोषों में व्यय का पूर्ण ब्यौरा दर्शिता रहेगा और वह ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जिसका रूपया बाकी है तथा नियम 14 के अधीन दी गई पेशगी के सिवा, अन्य दशाओं में ऐसा प्रमाण–पत्र भी साथ रहेगा कि जिस कार्य के लिए बिल दिया गया है वह वास्तव में किया गया है। प्रति वर्ष कम–से–कम एक बार स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के लेखा परीक्षक या अन्य लेखा परीक्षक द्वारा जिसे सरकार स्वीकृत करें, निधि के लेखाओं का परीक्षण होगा। पंचायत द्वारा किये गये सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के आवश्यक विवरण सार्वजनिक निर्माण के रजिस्टर में प्रविष्टि किये जायेंगे। ऐसे कार्य प्रत्येक कार्य के लिए एक पृथक पृष्ठ रहेगा।

बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के व्यय स्तर

पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय उनके हर स्तर पर किए गए कार्य की संभावना और धनराशि के उपयोग का एक महत्वपूर्ण सूचक है। पहले अधिकांश व्यय ग्राम पंचायत स्तर पर संकेंद्रित रहता था। लेकिन विगत वर्षों के दौरान प्रणाली के तीनों स्तरों पर इसका संतुलित तरीके से वितरण होता रहा है।

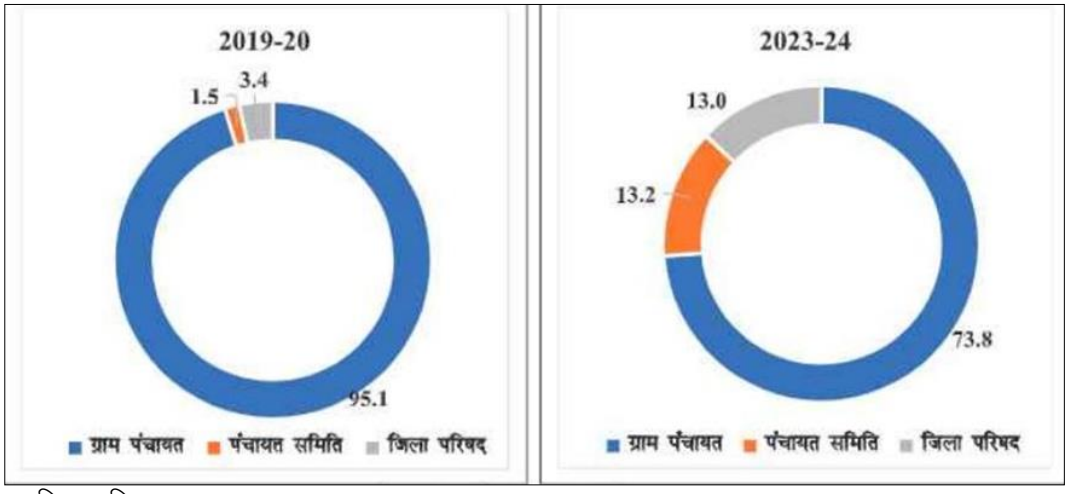

स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 1: पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय का प्रतिशत वितरण (2019–20 और 2023–24)

जैसा कि चार्ट 1 में दर्शाया गया है, 2019–20 में ग्राम पंचायतों ने कुल धनराशि क 95.1 प्रतिशत हिस्से का उपयोग किया था जबकि जिला परिषद का 3.4 प्रतिशत और पंचायत समितियों का 1.5 प्रतिशत हिस्सा था। लेकिन 2023–24 में वितरण में काफी बदलाव आया और कुल घनराशि के उपयोग में ग्राम पंचायतों का 73.8 प्रतिशत, जिला परिषदों का 13.0 प्रतिशत और पंचायत समितियों का 13.2 प्रतिशत हिस्सा हो गया। तालिका 2 में 2019–20 में 2023–24 तक विभिन्न स्तरों पर हुआ व्यय और प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि 2021–22 के बाद कुल व्यय में काफी वृद्धि हुई है जो 2021–22 के 7,234.7 करोड़ रु. से 38.3 प्रतिशत बढ़कर 2023–24 में 10,007.6 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 2: पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों के व्यय स्तर (2019–20 से 2023–24)(करोड़ रु.)

पंचायती राज संस्थाओं के स्तर	2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
ग्राम पंचायत	81243 (95.0)	5898.9 (75.2)	4793.0 (66.3)	5804.1 (72.0)	7383.9 (73.8)
पंचायत समिति	131.3 (1.5)	1163.6 (14.8)	922.0 (12.7)	1123.5 (13.9)	1321.91 (13.2)
जिला परिषद	294.0 (3.4)	779.9 (9.9)	1519.7 (21.0)	1130.7 (14.0)	1301.78 (13.0)
योगफल	8549.6 (100.0)	7842.4 (100.0)	7234.7 (100.0)	8058.3 (100.0)	10007.6 (100.0)

टिप्पण: कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय धनराशि के उपयोग और हर संबंधित स्तर पर पूरे किए गए कार्यों की हद का महत्वपूर्ण सूचक है। यह आवंटित धनराशि के प्रभावी उपयोग और चलने वाली विकासमूलक गतिविधियों की संभावनाओं को व्यक्त करता है।

1. **ग्राम पंचायत:** जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतें मुख्यतः अपना व्यय स्थानीय अवसंरचना, पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, और ग्राम विकास के कार्यक्रमों पर केंद्रित करती हैं। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय में 9.1 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, 2021–22 से 2023–24 की अवधि में इसमें 54.0 प्रतिशत की अच्छी–खासी वृद्धि दिखी (तालिका 3)।

2. **पंचायत समिति:** इस मध्यवर्ती स्तर का ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य, और कृषि सहायता जैसी प्रखंड स्तरीय योजनाओं पर होता है जिससे विभिन्न ग्राम पंचायों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित्त होता है। इस स्तर पर व्यय में 2019–20 से 2023–24 के बीच 906.8 प्रतिशत की भारी–भरकम वृद्धि दिखी (तालिका 4)।

3. **जिला परिषद:** जिला स्तर पर जिला परिषद पथ संपर्क, जिला–व्यापी कल्याण योजनाओं आदि बड़ी परियोजनाओं का प्रबंधन करते हैं और अधीनस्थ स्तरों के लिए संसाधन आबंटन का अनुश्रवण करते हैं। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के बीच इस स्तर पर भी व्यय में 342.8 प्रतिशत की भारी वृद्धि दिखी (तालिका 5)।

हर स्तर पर कुशलता से व्यय होना विकासमूलक लक्ष्यों की प्राप्ति और स्थानीय जरूरतों की प्रभावी ढंग से पूर्ति के लिए बहुत जरूरी है।

तालिका 3: पंचायती राज संस्थानों में ग्राम पंचायत स्तर पर व्यय (2019 20 से 2023 24) (करोड़ रु.)

			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान		0.0	31.7 (0.5)	106.3 (2.2)	55.6 (1.0)	41.7 (0.6)
2	केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	निबद्ध और अनिबद्ध अनुदान	5678.2 (69.9)	3512.6 (59.5)	2595.9 (54.2)	2689.8 (46.3)	2696.7 (36.5)
		स्वास्थ्य अनुदान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	राज्य वित्त आयोग के अनुदान		990.4 (12.2)	1121 (19.0)	1604.9 (33.5)	2694.0 (46.4)	3338.1 (45.2)

4	मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	1217.2 (15.0)	944.1 (16.0)	190.7 (4.0)	110.4 (1.9)	43.3 (0.6)
5	मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना	0.0	0.0	0.0	2.20 (0.03)	58.4 (0.8)
6	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण	149.7 (1.8)	171.3 (17.1)	148.3 (3.1)	2.2 (नगण्य)	874.3 (11.8)
7	आकस्मिक व्यय अनुदान	2.1 (नगण्य)	0.0	3 (नगण्य)	—	0.00
8	ग्राम पंचायत सदस्यों/कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	86.7 (1.1)	118.1 (2.0)	144 (3.0)	188.8 (3.3)	331.4 (4.5)
	योगफल	8124.3 (100.0)	5898.9 (100.0)	4793 (100.0)	5802.1 (100.0)	7383.9 (100.0)

टिप्पणे: कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

तालिका 4: पंचायती राज संस्थानों में पंचायत समिति स्तर पर व्यय (2019–20 से 2023–24) (करोड़ रु.)

			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	निबद्ध और अनिबद्ध अनुदान	0.0	1003.6 (86.2)	591.9 (64.2)	577.7 (51.4)	577.9 (43.7)
		स्वास्थ्य अनुदान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
3	राज्य वित्त आयोग के अनुदान		111.9 (85.2)	134.4 (11.6)	311 (33.7)	525.2 (46.2)	718.9 (54.4)
4	पंचायत समिति सदस्यों को भत्ते		19.4 (14.8)	25.6 (2.2)	19 (2.1)	20.4 (1.8)	25.1 (1.9)
5	मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना		0	0	0	0.0	0.0
	योगफल		131.3 (100.0)	1163.6 (100.0)	922 (100.0)	1123.5 (100.0)	1321.9 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5: पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद स्तर पर व्यय (2019 20 से 2023 24) (करोड़ रु.)

			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	निबद्ध और अनिबद्ध अनुदान	0.0	501.8 (64.3)	1422.7 (52.8)	576.3 (51.0)	577.9 (44.4)
		स्वास्थ्य अनुदान	0.0	0.0	903.5 (33.5)	0.0	0.00
3	राज्य वित्त आयोग के अनुदान		290.0 (98.6)	273.2 (35.0)	366.9 (13.6)	550.4 (48.7)	718.94 (55.2)
4	जिला परिषद सदस्यों को भत्ते		4.0 (1.4)	4.9 (0.6)	3.9 (0.1)	4.0 (0.4)	4.98 (0.4)
5	मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	योगफल		294.0 (100.0)	779.9 (100.0)	2697.0 (100.0)	1130.7 (100.0)	1301.8 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े फूल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दशति हैं।
स्रोत: पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

निष्कर्ष

संविधान के अनुच्छेद 243–आई में राज्य स्तर पर अंतर शासकीय वित्तीय संबंधों की संरचना में मदद के लिए राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य वित्त आयोग पंचायतो की वित्तीय स्थिति की समीक्षा का अधिकार है। उसे राजकोषीय निधि की कमी का पता लगाकर राज्य से कर हस्तांतरण और अनुदान राशि के माध्यम से इसे दूर करने के लिए राज्यपाल का उपयुक्त सिफारिश देने का भी अधिकार है। यह उपयोग राज्य और पंचायती राज संस्थाओं के बीच राजस्व की हिस्सेदारी की परिभाषित करने के अव्यवा मचायलों को नियमित रूप से निधि का प्रवाह भी सुनिश्चित करता है।

बिहार राज्य के सन्दर्भ में बजटीय आवंटन के बगैर व्यय करना, आवश्यक अभिलेखों यथा– अनुदान पंजी, परिसंपति पंजी, दैनिक वसूली पंजी इत्यादि का संधारण नहीं किया जाना, प्रत्येक माह के अंत में रोकड़बही में शेषों के समाधान को दर्शाती विवरणी नहीं बनाया जाना जैसे व्यवहार गंभीर चिन्ता उत्पन्न करते हैं। इन्ही सब बातों को ध्यान में रखकर पंचायती राज मंत्रालय ने 15 अप्रैल, 2020 को एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार करते हुए "ऑडिट–ऑनलाइन" एप्लिकेशन आरम्भ किया है। ऑनलाइन ऑडिट न केवल खातों की ऑनलाइन ऑडिटिंग की सुविधा देता है बल्कि लिए गए ऑडिट का रिकॉर्ड रखने का प्रावधान भी करता है। यह एप्लिकेशन ऑडिट जाँच, स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट पैरा तैयार करने के लिए प्रक्रिया को कारगर बनाने का प्रयास करता है।

प्रारंभ में वर्ष 2019–20 के लिए 14 वें वित्त आयोग के पंचायत खातों की ऑनलाइन ऑडिट इस एप्लिकेशन की सहायता से की गई थी। आशा की गई कि वर्ष 2021–22 से 100 प्रतिशत ग्राम पंचायतों का ऑडिट ऑनलाइन किया जाएगा। सोशल ऑडिट के साथ ये प्रयास पंचायतों की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को और सुदृढ करगा।

सन्दर्भ

1. अग्रवाल, प्रमोद कुमार (2015), भारत में पंचायती राज, ज्ञान गंगा, दिल्ली
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2024–2025, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. ठाकुर, अनुज (2009), बिहार का आर्थिक आकलन, मीनाक्षी प्रकाशन, पटना
4. पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट
5. बिहार ग्राम पंचायत एकाउन्ट रुल्स 1949
6. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006
7. बैरागी, विनोद नारायण दास (2016), पंचायती राज व्यवस्था, पराग प्रकाशन, कानपुर
8. यादव, सुबह सिंह (1999), ग्रामीण विकास एवं अर्थव्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
9. www.biharprd.bih.nic.in